



भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
पर्यावरण एवं वन मंत्रालय
MINISTRY OF ENVIRONMENT & FORESTS

क्षेत्रीय कार्यालय, पश्चिम क्षेत्र
Regional Office, Western Region
E-3/240, अरेरा कालोनी/Arera Colony
भोपाल (म0प्र0)/Bhopal-462016 (M.P.)
दूरभाष /Phone: 466525, 465496, 465054
फैक्स /Fax: 0755-463102
तार /Telegram: CENTFOREST
अणुडाक /E-mail: rccfwr@sancharnet.in

क्रमांक: 8सी/44/99-एफसीडब्ल्यू/ 62,

दि. 09-1-2003,

प्रति,
प्रधान सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
विभाग,
वल्लभ भवन,
भोपाल ।

विषय: गुना जिले में सुमेरी जलाशय के निर्माणार्थ जल संसाधन विभाग द्वारा 19.80 हे0 वनभूमि की उपयोगार्थ मांग ।

- संदर्भ: 1. इस कार्यालय का पत्रांक 8सी/44/99-एफसीडब्ल्यू/235 दिनांक 25.1.2002
2. मु0व0सं0(भू-सर्वे), म0प्र0 का पत्रांक एफ-3/44/98/10/11/3981 दिनांक- 26.12.2002

महोदय,

कृपया अपने उक्त विषयक पत्रांक एफ-5/33/99/10/3 दिनांक 26.07.1999 का संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा-2 के अन्तर्गत केन्द्र सरकार के अनुमोदन का अनुरोध किया गया था ।

उक्त वनभूमि के उल्लिखित उद्देश्य हेतु प्रत्यावर्तन के लिए, इस कार्यालय के उपरोक्त संदर्भित पत्र (1) द्वारा, उसमें लगायी गयी शर्तों के अधीन, सिद्धान्ततः सहमति दी गयी थी ।

उपरोक्त संदर्भित पत्र (2) द्वारा नोडल अधिकारी, म0प्र0 शासन ने उक्त शर्तों की पूर्ति का अनुपालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है । अतः अधोहस्ताक्षरी द्वारा केन्द्र सरकार की ओर से गुना जिले में सुमेरी जलाशय के निर्माणार्थ जल संसाधन विभाग द्वारा 19.80 हे0 वनभूमि के वनेत्तर उपयोग के लिये वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा-2 के अन्तर्गत निम्नलिखित शर्तों पर औपचारिक अनुमोदन किया जाता है :-

वनभूमि का वैधानिक स्वरूप अपरिवर्तित रहेगा ।

फर्मिस
De
13/1/03

दिनांक	13/1/03
संख्या	62
व्यक्ति	
स्थान	

2 पर

विभाग द्वारा उपयोगकर्ता के खर्च पर 19.80 हे० गैर वनभूमि (सर्वे तहसील राघोगढ़, जनपद गुना) पर इस पत्र के निर्गत होने के दो वृक्षारोपण किया जाएगा ।

3. इस गैर वनभूमि को आरक्षित/संरक्षित वन घोषित किया जायेगा ।
4. उपयोगकर्ता द्वारा अपने व्यय पर एच.एफ.एल. एवं वनसीमा के बीच रिक्त किया जायेगा ।
5. वानिकी कार्य हेतु वनविभाग को आवश्यकतानुसार जल निःशुल्क प्रदाय किया
6. वृक्षों की कटाई FRL-4M के तख्त के नीचे तक सामत रखी जायेगी ।
7. उपयोगकर्ता द्वारा अपने व्यय पर गैर वन के दोनों ओर वृक्षारोपण किया जायेगा ।
5. वनभूमि का उपयोग प्रस्तावित कार्य के अतिरिक्त अन्य किसी कार्य के लिए नहीं
6. राज्य सरकार द्वारा लगाई गई अन्य कोई भी शर्त ।

भवः

(डा० एस०पी० श्री
वन संरक्षक

प्रतिलिपि:

1. निदेशक(एफ०सी०) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, पर्यावरण भवन, सी०जी०ओ० काम्पलेक्स, रोड, नई दिल्ली ।
2. सचिव, म०प्र० शासन, जल संसाधन विभाग, भोपाल ।
3. मुख्य वन संरक्षक एवं प्रमुख अभियंता, म०प्र० शासन, सतपुड़ा भवन, भोपाल ।
4. प्रमुख अभियंता
5. ...
6. ...

(डा० एस०पी० श्रीवास्तव)
वन संरक्षक (केन्द्रीय)

205
3/12

CC 4/12
सि-जप